न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

अपील संख्या :: 15/2017 ::
जी.सी.एम.एस नम्बर : 2017/00344

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीः–

सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला पाली

श्रीमती सायर कंवर पत्नी मोतीसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी निम्बेड़ा खुर्द, तहसील जैतारण के कायम मुकाम :–

1 श्रीमती सुखकंवर पुत्री मोतीसिंहजी, पत्नी अजीतसिंहजी जाति राजपुत निवासी डी–135, अम्बावाड़ी, जयपुर

2 श्रीमती चेनकंवर पुत्री मोतीसिंहजी, पत्नी भवानीसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी अलसीपुरा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के कायम मुकामः–

2/1 भवानीसिंह (पति)

2/2 शंभूसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/3 दर्शनसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/4 रूपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/5 कीकाकंवर पुत्री स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/6 लीलाकंवर पुत्री स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/7 अंजू कंवर (अनुसुईया) पुत्री स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/8 छोटूकंवर पुत्री स्व. श्री भवानीसिंहजी

2/9 ओमकंवर पुत्री स्व. श्री भवानीसिंहजी

जातिगण राजपुत निवासीगण अलसीपुरा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा

सीलिंग अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता।
रेस्पोडेण्ट्स बावजूद तामीन अनुपस्थित।

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक 27/01/21

उपरोक्त अपील धारा 23(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 1/85 मे पारित निर्णय [illegible] 24.02.2001 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। [illegible] रेस्पोडेण्ट चैनकंवर की मृत्यु होने की जानकारी होने पर अपीलाण्ट क़ी ओर से कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पेश हुआ। जिस पर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। समस्त रेस्पोडेण्ट्स बाद तामील अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेण्ट चैनकंवर के वारिसान के सम्मन दिनांक 13.08.2008 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

तामील होकर प्राप्त हुए एवं रेस्पोडेण्ट सुखकंवर का सम्मन दिनांक 22.12.2008 की आदेशिका अनुसार तामील माना गया। तत्समय से पत्रावली बहस हेतु लम्बित चली आ रही है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही अपीलाण्ट की ओर से जमाबन्दी दिनांक 25.021958 एवं 26.02.1970 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में सीलिंग कार्यवाही प्रकरण संख्या 1/1985 के रूप में आरंभ की थी। रेस्पोडेण्ट सायरकंवर को नोटिस जारी किये गये थे, जिसमें पुराने सीलिंग कानून एवं नये सीलिंग कानून दोनों के तहत् आदेश दिनांक 20.01.1987 एवं 27.10.1987 अनुसार 242 बीघा 14 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण योग्य माना गया था। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.1995 की पालना में रेस्पोडेण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 14(अ) के तहत् दिनांक 04.12.1995 को पेश किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.1996 को निर्णित करते हुए खारिज किया गया एवं रेस्पोडेण्ट को 15 दिन की अवधि में भूमि सरेण्डर करने हेतु अपना विकल्प पेश करने के लिए आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट की ओर से पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 584/1996 पेश हुई। जिसमें पुनः दिनांक 23.02.2000 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.1996 को निरस्त करते हुए पुनः रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को निर्णित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। जिसमें अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपीलाण्ट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.10.1987 अनुसार रेस्पोडेण्ट द्वारा 135 बीघा भूमि धारण करने के बाद शेष भूमि 242 बीघा 14 बिस्वा को अधिग्रहण योग्य भूमि मानी गई है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.1995 को पुनः फाईनल संशोधित स्टेटमेंट जारी कर 256 बीघा 15 बिस्वा नये सीलिंग कानून के तहत् और 273 बीघा 17 बिस्वा पुराने सीलिंग कानून के तहत् भूमि को अधिग्रहण योग्य मानते हुए भूमि का कब्जा सरकार द्वारा लिये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 974/1995 पेश हुई थी। जिसका निर्णय दिनांक 06.11.1995 को किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में गैर सायल अर्थात् रेस्पोडेण्ट सायरकंवर के परिवार में दिनांक 01.04.1996 को पुत्रियां सुखकंवर व चैनकंवर दो सदस्य होना मानते हुए तीनों को बालिग मानते हुए तीन यूनिट मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही 205 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सम्बंध में विक्रय पत्र को मान्यता दी गई है, जो पूर्णतः अवैध है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार करने का निवेदन कर निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। इस सम्बन्ध में भी अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया गया कि उपरोक्त अपील राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.12.200[illegible] के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 17.07.2007 एवं जिला कलक्टर पाली के पत्र दिनांक 06.08.2007 के निर्देश प्राप्त होने पर अपील पेश करना बताया है और इस सम्बंध में हुई देरी को माफ किये जाने का निवेदन किया है। सरकारी पैरोकार ने अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया और पत्र का कोई खण्डन नहीं हुआ है। अतः धारा 15 के तहत् राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

सरकार किसी भी निर्णय को राज्यहित में पुनः खोल सकती है। इसलिए आवदेन स्वीकार किया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 1/1985 एवं 1/2000 का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 5 के आवेदन को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। यह अपील निर्णय दिनांक 24.02.2001 के विरूद्ध दिनांक 27.09.2007 को दर्ज हुई है एवं दिनांक 19.08.2007 को पेश हुई है। जिसके सम्बन्ध में सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि उक्त अपील राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में की गई है। चूंकि उपरोक्त धारा 5 के आवेदन एवं संलग्न प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई खण्डन रेस्पोडेण्ट की ओर से नही हुआ है। अतः धारा 15 के तहत् राज्य सरकार किसी भी निर्णय को राज्यहित में पुनः खोल सकती है। ऐसी स्थिति में आवेदन को स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

प्रकरण का मैरिट पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2001 में मुख्यतः दो बिन्दुओं पर प्रकरण को ड्रोप किया गया है। जिसमें सर्वप्रथम बिन्दु रेस्पोडेण्ट द्वारा 205 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सम्बंध में किये गये पंजीबद्ध बेचाणनामों को मान्यता दी गई है। एक बेचाण दिनांक 30.09.1965 का है, जो कि 98 बीघा 7 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में है। जिस बाबत् म्यूटेशन संख्या 105 दायर किया गया तथा दूसरे बेचाणनामा दिनांक 23.12.1959 को होना बताया गया है। जिसके द्वारा 107 बीघा 11 बिस्वा भूमि विक्रय की गई है, जिसका म्यूटेशन संख्या 106 पारित किया गया है तथा गैर सायल रेस्पोडेण्ट के पास ग्राम निम्बेड़ा खुर्द पटवार हल्का टूंकड़ा में कुल 471 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 25.12.1958 को खातेदारी होना माना गया है। इस सम्बन्ध में पुराने सीलिंग अधिनियम की धारा 30घ, 30घघ में प्रावधान दिये गये हैं। जिस अनुसार दिनांक 09.02.1959 के पश्चात् अगर भूमि का अन्तरण किया गया है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही धारा 30ध अनुसार दिनांक 19.2.1950 के पश्चात् अपनी संपूर्ण जोत या किसी भाग का किया गया अन्तरण जो बंटवाड़े के रूप में या ऐसे व्यक्ति को अंतरण किया गया हो जो भूमिहीन हो, के अलावा किसी प्रकार का अंतरण उक्त कानून को विफल करने वाला अंतरण समझा जाएगा। इसके अलावा धारा 30घघ अनुसार दिनांक 31.12.1969 तक कोई अंतरण किया गया है, तो उस सम्बंध में क्रेता कृषक होना और राजस्थान का निवासी होना आवश्यक शर्त है। उपरोक्त दोनों प्रावधान अर्थात् धारा 30घ एवं धारा 30घघ के अनुसार उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण किया जावे तो जो बेचाण रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 23.12.1959 एवं दिनांक 30.09.1965 को किये गये हैं। उसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पूरी पत्रावली में इस बाबत् किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस व्यक्ति को अंतरण की गई है, वह तत्समय भूमिहीन था और कृषक व्यक्ति था तथा राजस्थान का स्थायी निवासी था, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश नहीं हुई है। इसलिए बिना दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बेचाण को सद्भाविक मानते हुए मान्यता देना सीलिंग कानून को विफल करना है। जहां तक विक्रय [illegible] का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में पत्रावली पर यह साक्ष्य होना आवश्यक शर्त है कि [illegible] भूमिहीन व्यक्ति था, साथ ही कृषक था एवं राजस्थान का स्थायी [illegible] तो विक्रेता पक्ष के द्वारा साक्ष्य पेश की गई है, न ही क्रेता पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश की गई है, न ही अपने बयान दर्ज करवाये हैं, इसलिए उपरोक्त विक्रय पत्रों को विधिक रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फाइंडिंग सीलिंग कानून के विपरीत होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से उक्त निर्णय निरस्त किया जाता है। अतः धारा 6 के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तदिृष्ट किसी बात के होते हुए भी 1 जनवरी 1973 से पूर्व किये गये किसी सद्भाविक अंतरण के सिवाय 26 सितम्बर 1970 को या इसके पश्चात् चाहे विक्रय दान, विनिमय, समुनदेश, अभ्यपर्ण, वसीयत न्याय के सृजन द्वारा या अन्यथा किया गया प्रत्येक अन्तरण इस अधिनियम के उपबंधों को विफल करने के लिए किया गया माना जावेगा और किसी व्यक्ति पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र का अवधारणा करने में मान्य या विचारधीन नहीं होगा। साथ ही उपरोक्त विक्रय पत्रों के तहत् जो भूमि विक्रय की गई है, उससे क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और ऐसे विक्रय पत्र अवैध हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर कार्यवाही ड्रोप करने का दूसरा आधार रेस्पोडेण्ट के परिवार में दिनांक 01.04.1966 एवं दिनांक 01.01.1973 को तीन यूनिट होना माना है और तीन यूनिट के बाबत् यह माना है कि गैर सायल एसेसी सायरकंवर और उसकी दो पुत्रियां सुखकंवर व चैनकंवर को बालिग माना है। इस सम्बन्ध में नये सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2(एफ) अनुसार परिवार को परिभाषित किया गया है। अतः धारा 4 अन्तर्गत कुटुम्ब की परिभाषा 5 या 5 से कम सदस्य वाले प्राथमिक ईकाई के रूप में परिभाषित किया गया है एवं धारा 2(एफ) निम्नानुसार है:– family shall mean a family consisting of husband, wife and their children but excluding married minor daughter और इसके साथ ही धारा 2(एम) को पढ़ा जाना आवश्यक है, धारा 2(एम) निम्नानुसार है:– separate unit' means an adult son and in case of his death, his widow and children, if any. इस प्रकार दोनों धाराओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट है कि बालिग पुत्रियों को पृथक यूनिट माने जाने हेतु पुराने व नये सीलिंग कानून में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। पुराने सीलिंग कानून में भी कुटुम्ब की परिभाषा धारा 30(ख) में दी गई है, जिस अनुसार कुटुम्ब से पति और पत्नी तथा उन पर आश्रित उनकी संतानों, पौत्र, पौत्रियों तथा पति की इस प्रकार आश्रित विधवा माता से गठित कुटुम्ब अभिप्रेत है। इस प्रकार उक्त परिभाषा में बालिग पुत्रियों को अलग यूनिट माने जाने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही पुराने सीलिंग कानून की धारा 30ग अनुसार पांच या पांच से कम सदस्यों के कुटुम्ब के लिए भूमि का अधिकतम सीमा क्षेत्र 30 मानक एकड़ होगा और अगर कुटुम्ब के सदस्य की संख्या पांच से अधिक की हो तो प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 5 मानक एकड़ की वृद्धि की जाएगी, लेकिन अधिकतम 60 मानक एकड़ से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार सीलिंग कानून को देखा जाए तो उसमें पृथक यूनिट के कोई प्रावधान नहीं थे, केवलमात्र परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर मानक एकड़ तय किये जाने थे। पांच सदस्य तक 30 मानक एकड़ भूमि धारण की जा सकती थी। हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत रूप से रेस्पोडेण्ट के परिवार में केवल तीन सदस्य ही थे, जिसमें एक मां और दो पुत्रियां थी। ऐसी स्थिति में पुराने सीलिंग कानून के तहत् अधिकतम 30 मानक एकड़ भूमि रेस्पोडेण्ट धारण करने के अधिकारी थे।

नये सीलिंग कानून के तहत् अधिनियम की धारा 2 (एफ) एवं 2 (एम) के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि बालिग अथवा नाबालिग पुत्रियों को पृथक यूनिट माने जाने का कोई प्राव[illegible] सीलिंग कानून के तहत् नहीं है। ऐसी स्थिति में नये सीलिंग क[illegible]र में पांच या पांच से कम सदस्य है तो वह प्राईमरी यूनिट [illegible] उस अनुसार पाली जिले में 54 एकड़ अर्थात् 135 बीघा भूमि धारण करने के अ[illegible]री रहते है। चूंकि रेस्पोडेण्ट के परिवार में दिनांक 01.01.1973 को अधिकतम तीन सदस्य ही माने जा सकते हैं, जिसमें एक माता सायरकंवर एवं दो पुत्रियां सुखकंवर एवं चैनकंवर है जिस अनुसार अधिकतम 135 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

भूमि धारण करने के अधिकारी हैं। पुराने सीलिंग कानून एवं नये सीलिंग कानून दोनों के तहत् बालिग अथवा नाबालिग पुत्रियों को अलग यूनिट माने जाने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों पुत्रियों को अलग युनिट माने जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त सीलिंग कानून के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो अवैध होने से अपास्त योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील पूर्णरूप से स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेण्ट केवलमात्र 135 बीघा भूमि धारण करने के अधिकारी हैं। जबकि दिनांक 01.04.1966 एवं दिनांक 01.01.1973 को उनके पास 471 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी, इसलिए 135 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम रखी जाकर शेष भूमि 336 बीघा 3 बिस्वा को अधिग्रहण किये जाने बाबत् आदेश पारित किया जाता है। अपीलाण्ट को आदेशित किया जाता है कि माफिक उपरोक्त निर्णय अनुसार तुरन्त प्रभाव से उपरोक्त अधिशेष भूमि को अधिग्रहण कर राजकीय सिवाय चक दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/01/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:53 IST
Reason: SelfAttested